भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 637

दिनांक 20.11.2019 को उत्तर देने के लिए

विदेशों में भारतीय कामगारों की मृत्यु

637. **श्री उत्तम कुमार रेड्डी:**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से लेकर अब तक कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान और यूएई में कितने प्रवासी भारतीय कामगारों की मृत्यु का पता चला है इन मौतों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) खराब कार्यकारी स्थितियों और दुर्व्यवहार के संबंध में इन देशों में प्रवासी भारतीय कामगारों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और इन शिकायतों की स्थिति क्या हैं; और

(घ) क्या इन देशों में प्रवासी भारतीय कामगारों की बेहतर कार्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी उपाय पर विचार किया जा रहा है या कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रवासी कामगारों सहित कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में 2014 से अब तक कथित तौर पर मृत भारतीयों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	देश का नाम	कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में कथित तौर पर मृत भारतीयों की संख्या					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 (अक्तूबर 2019 तक)
1	बहरीन	175	223	186	237	234	180
2	कुवैत	559	611	576	591	659	584
3	ओमान	519	520	547	495	526	402
4	कतर	279	198	281	282	285	286
5	सऊदी अरब	2427	2694	2766	2664	2551	1920

6	संयुक्त अरब अमीरात	1429	1540	1657	1637	1759	1451

(ख). खाड़ी देशों में हमारे मिशनों और केंद्रों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार विभिन्न कारणों से भारतीय कामगारों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैः-

क्रम.सं.	**देश**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1	बहरीन	693	792	734	585 (13.11.19)
2	कतर	2747	3328	3244	1459 (जून)
3	सऊदी अरब	8912	8447	8272	4265 (13.11.19)
4	ओमान	2245	4144	3594	2308(अक्तूबर)
5	कुवैत	4187	4481	3287	3496(अक्तूबर)
6	संयुक्त अरब अमीरात	2368	3756	2153	2502(अक्तूबर)

क्रम. सं.	**देश**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1	बहरीन	821	833	693	792	734	585 (13.11.19)
2	कतर	3943	3868	2747	3328	3244	1883 (अक्तूबर)
3	सऊदी अरब	3732	2921	8912	8447	8272	4286 (12.11.19)
4	ओमान	1358	1097	2245	4144	3594	2308 (अक्तूबर)
5	कुवैत	3033	3493	4187	4481	3287	3496 (अक्तूबर)
6	संयुक्त अरब अमीरात	1718	1936	2368	3756	2153	2493 (अक्तूबर)

(ग) भारतीय कामगारों द्वारा प्राप्त अधिकतम शिकायतें वेतन नहीं दिए जाने तथा वैध श्रम अधिकारों तथा लाभों से इंकार करने, जैसे-निवास परमिट जारी /नवीकृत न करने, समयोपरि भत्ते का भुगतान न करने, साप्ताहिक अवकाश न देने, अधिक समय तक कार्य लेने, भारत जाने के लिए निकासी/ पुन: प्रवेश अनुमति देने से इंकार करने, कामगारों का अनुबंध पूरा होने के बाद अंतिम रूप से निकासी वीजा के समय कामगारों को भारत लौटने की अनुमति देने से इंकार करने, चिकित्सा एवं बीमा सुविधाओं का प्रावधान न होने तथा कामगार की मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को मुआवजे का भुगतान न करने आदि से संबंधित हैं।

उत्प्रवासियों द्वारा या उनकी ओर से शिकायतें प्राप्त होते ही उसके तत्काल समाधान के लिए भारतीय मिशनों द्वारा स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों से संपर्क करके तुरंत कार्रवाई की जाती है। रोजगार संबंधी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित विदेशी नियोक्ता/श्रम विभाग तथा अन्य संबंधित

अधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है। जब भी अपेक्षित एवं संभव होता है दूतावास के अधिकारी शिकायतों के समाधान के लिए नियोक्ताओं से संपर्क भी करते हैं।

(घ) सरकार ने खाड़ी और अन्य ईसीआर देशों में भारतीय उत्प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) ऑनलाइन मदद पोर्टल से उत्प्रवासी कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को अपनी कौंसुली शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता है तथा उसके निवारण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

(ii) अधिसूचित उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) देशों में रोजगार संबंधी शिकायतें उत्प्रवासी/उनके परिजनों द्वारा सीधे अथवा प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) के माध्यम से ई-माइग्रेट पोर्टल पर भी दर्ज कराई जा सकती है। इन शिकायतों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा निपटान किया जाता है।

(iii) प्रवासी भारतीय कामगारों से संबंधित सभी मामलों पर दिशा-निर्देश तथा परामर्श देने के लिए नई दिल्ली में और दुबई (संयुक्त अरब अमीरात), शारजाह (संयुक्त अरब अमीरात), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब अधिराज्य) और क्वालालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) की स्थापना की गई है।

(iv) उत्प्रवासियों अथवा उनके परिजनों को विदेश में रोजगार संबंधी अपनी समस्याओं/शिकायतों का समाधान करने में सहायता हेतु कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई तथा लखनऊ में क्षेत्रीय प्रवासी साहित्य केंद्र (केपीएसके) भी स्थापित किए गए हैं।

(v) मिशनों ने भारतीय कामगारों की मदद के लिए 24x7 हेल्पलाइन तथा नि:शुल्क हेल्पलाइनों की भी व्यवस्था की है।

(vi) ट्विटर सहित सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रालय और मिशनों के ध्यान में लाई गई शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(vii) मिशन संकट के समय में प्रवासी भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हैं। कल्याण उपायों के क्षेत्र का विस्तार करने और तीन मुख्य क्षेत्रों नामत: संकट की स्थितियों में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता, समुदाय कल्याण क्रियाकलापों और कौंसुली सेवाओं में सुधार को शामिल करने के लिए हाल में भारतीय समुदाय कल्याण कोष के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया।

(viii) खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों के साथ पहले से ही श्रम एवं जनशक्ति सहयोग समझौता ज्ञापन/करार मौजूद हैं जिनके तहत श्रम संबंधी मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा करने एवं समीक्षा करने के लिए एक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था है। श्रम एवं जनशक्ति सहयोग/करार के अनुसार विभिन्न श्रम संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित आधार पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें होती हैं।

***